# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 15/430**

नाथूलाल आत्मज श्री धूला जाति बैरवा निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

**बनाम**

1. दुर्गालाल आत्मज स्व0 छीतर जाति बैरवा (चमार) निवासी गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. मुस0 कैलाश बेवा स्व0 छीतर जाति बैरवा निवीस गुमानपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. रामदेव आत्मज पांथू जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
4. पप्पू आत्मज पांथू जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से।
3. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 15.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एव 188 के अन्तर्गत ग्राम मांगली तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 रकबा 09 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवा कर उक्त भूमि अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर 1/4 हिस्से को अवादी तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी कम 1 व 2 तथा 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी कम 3 व 4 1/8 का खातेदार घोषित किया जावे तथा

उक्तानुसार प्राप्त विभाजन में भूमि को पक्षकारान के अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के हिस्से में प्राप्त आराजी पर किसी प्रकार की मदाखल व मजहामत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी तथा वादी के गवाहान के बयान नहीं लिये और बिना साक्ष्य प्रकिया अपनाये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जब कि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय पारित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस एवं मौखिक बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने मिथ्या तथ्यों को प्रस्तुत कर उसकी आड में रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी खाते व कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं । उक्त अपील के मूल वाद में विवादित कृषि भूमि है जिस पर प्रतिवादी दुर्गालाल व उसकी वृद्ध माता कैलाश बाई बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी दुर्गालाल व उसकी माता की सम्पत्ति है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट का वाद दिनांक 14.07.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा खारिज किये जाने के बाद अपीलान्ट ने एक गिरोह बना लिया व जबरदस्ती रेस्पोडेन्ट दुर्गालाल व उसकी वृद्ध माता मु0 कैलाश की विवादति भूमि पर दिनांक 05.03.2016 को जबरदस्ती कानून हाथ में लेकर कब्जा करने आये तो वादी ने भागकर न्यायालय की शरण ली व एक वाद पेश किया जिसमें अपीलान्ट के खिलाफ व रेस्पोडेन्ट दुर्गालाल व उसकी माता कैलाश बाई के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है जिसमें अपीलान्ट की उपस्थिति हो गई है तथा उसने जवाब के लिए अवसर मांगा है जिसमें उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन है । वादग्रस्त आराजी से वादी अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एव 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर ही होना न्यायहित में आवश्यक है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा